तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.66/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
23.7.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (भोजाराम पुत्र तेजाराम जी विश्नोई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, हनुमान चौक, झाडौली, तह. पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (रामकिशन पुत्र मदुराम जी विश्नोई, खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक, फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, हनुमान चौक, झाडोली, तह. पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 22.9.2023 को फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, हनुमान चौक, झाडोली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Pasteurised full cream Milk (Amul Gold) का नमूना संख्या S-2210 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2598/Act/2023/2629 दिनांक 05.10.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाये गये। जिस पर प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में सुनवाई तिथि 16.7.2024 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण को दिनांक 16.7.2024 को ही सुना गया। प्रतिवादीगण ने अनुरोध किया कि प्रतिवादी संख्या–2 (रामकिशन) उक्त फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी का मालिक है एवं प्रतिवादी संख्या–1 (भोजाराम) नौकरी करता है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु Pasteurised full cream Milk (Amul Gold) की पैक्ड पाउच का नमूना खरीद किया था। यह कि उक्त दूध को कम्पनी पैकिंग अवस्था में ही विक्रया गया है। प्रतिवादीगण ने दूध में कोई मिलावट नही की है। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 22.9.2023 को फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, हनुमान चौक, झाडोली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, हनुमान चौक, झाडोली में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ Pasteurised full cream Milk (Amul Gold) के 18 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 एम.एल.) में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ Pasteurised full cream Milk (Amul Gold) के 4 पैक्ड पाउच .....लगातार	

न्यायालय प्रति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

प्रत. जिला कलक्टर सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:34 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.66/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	(प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह श्रवणसिंह देवड़ा, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष कीमतन क्रय किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार लेबल तैयार कर इन लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता भोजाराम एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा Pasteurised full cream Milk (Amul Gold) के क्रयशुदा चारों पैक्ड पाउचों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् चारों सीलबन्द नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता भोजाराम एवं गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.9.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 22.9.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, हनुमान चौक, झाडोली में प्रतिवादी विक्रेता भोजाराम से खाद्य पदार्थ Pasteurised full cream Milk (Amul Gold) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Pasteurised full cream Milk (Amul Gold) के नमूना संख्या S-2210 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2598/Act/2023/2629 दिनांक 05.10.2023 में खाद्य पदार्थ Pasteurised full cream Milk (Amul Gold) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के .....लगातार	

न्याया० मुंसिफ/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय श्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:34 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.66/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, हनुमान चौक, झाडोली का प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या–2 (रामकिशन विश्नोई) है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–2 (रामकिशन विश्नोई) की प्रोपराईटरी फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, हनुमान चौक, झाडोली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता भोजाराम द्वारा अमानक (sub-standard) Pasteurised full cream Milk (Amul Gold) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी रामकिशन, अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Pasteurised full cream Milk (Amul Gold) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रामकिशन विश्नोई पुत्र मदूराम जी विश्नोई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, हनुमान चौक, झाडोली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी रामकिशन विश्नोई पुत्र मदूराम जी विश्नोई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गुरु कृपा दूध डेयरी, हनुमान चौक, झाडोली को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23.8.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:34 IST
Reason: SelfAttested